जोल्बा

बनाम

केशव एवं अन्य

सिविल अपील नंबर 2360/2008

1 अप्रैल 2008

(तरूण चटर्जी एवं हरजीत सिंह बेदी जे जे)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

आदेश 08 नियम 01 वैधानिक अवधि के समाप्ति के उपरांत लिखित कथन दाखिल करना और अभिनिर्धारित और आपवादिक परिस्थितियों में न्यायालय प्रतिवादी को लिखित कथन प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए खुला रहेगा और जब तक कि आदेश 08 नियम 01 या अन्य किसी प्रक्रियात्मक अधिनियम का इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह न्यायालय को विशेष परिस्थितियों में न्यायप्राप्ति के लिए असहाय छोड़ दे और हस्तगत मामले में तथ्य जो बताये गये है वह लिखित कथन देरी से दाखिल करने के लिए पर्याप्त कारण है और विचारण न्यायालय के दस्तावेज नहीं होने जिसके कारण प्रतिवादी अपना लिखित कथन नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं कर सका। यह विशेष परिस्थितियां है और उच्च न्यायालय के साथ और साथ विचारण न्यायालय ने लिखित कथन प्रस्तुत

करने के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में गलती की है और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है और लिखित कथन स्वीकार किया जाता है और विचारण न्यायालय वाद की सुनवाई करे और शीघ्रता से निस्तारित करें।

न्यायिक दृष्टांत जिस पर विश्वास किया गया और सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम भारत संघ ए आई आर 2005 उच्चतम न्यायालय 3353

सिविल अपील क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नंबर 2360/ 2008

बंबई उच्च न्यायालय नागपुर बैंच नागपुर के प्रकरण संख्या डब्ल्यू पी संख्या 4049/2006 के निर्णय व आदेश दिनांक 11-10-2006

अपीलांट की ओर से शिवजी एम. जाधव

न्यायालय के द्वारा पारित किये गये आदेश

1- अनुमति दी गई।

2- प्रत्यर्थी की तामिल होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी अपील का विरोध करने और उपस्थित होने में असमर्थ रहा।

3- यह अपील बंबई उच्च न्यायालय के रिट पीटिशन नंबर 4049 / 2006 के निर्णाय व आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2006 के विरूद्ध पेश हुई

जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने अपीलांट के द्वारा 35 दिन देरी से लिखित कथन प्रस्तुत करने के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जो कि अपीलांट ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध विभाजन और कृषि भूमि पर अलग कब्जे के संबंध में प्रत्यर्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया था।

4- हमने उच्च न्यायालय व विचारण न्यायालय के आदेश, प्रार्थना पत्र तथा लिखित कथन समय के बाहर प्रस्तुत किया तथा अपीलांट को सुना तथा परिक्षित किया।

5- अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर प्राप्त सामग्री को ध्यान में रखकर हम सभी का विचार यह है कि वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय को लिखित कथन प्रस्तुत करने में देरी को आदेश 08 नियम 01 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत माफ करना चाहिए था। अपीलार्थी विभाजन और कृषि भूमि के अलग से कब्जे के लिए वाद में प्रतिवादी है जो कि गट नंबर 243 0-05 हैक्टेयर जो कि ग्राम मौजा कोजाई में स्थित है और घर नंबर 139 जो कि गाजीपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जिसे यहां विवादग्रस्त सम्पत्ति बताया गया है वादी प्रत्यर्थी नंबर 01 से 05 जिन्होंने वसीयत 06 जून 2003 जो कि प्रत्यर्थी नंबर 06 के पक्ष में निष्पादित की गई, के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 उदघोषणा भी चाहते हैं। याची संख्या 02 उच्च न्यायालय में] जो कि अवैध] अशक्त और शून्य घोषित करवाये जाने और

अपीलांट को घर नंबर 139 में खुली भूमि में निर्माण करने से स्थायी रूप से रोकने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया। अभिलेख के अवलोकन से यह दिखता है कि प्रत्यर्थी के द्वारा लंबित वाद में अपीलांट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। प्रत्यर्थी के पक्ष में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नागभीड के द्वारा अपने आदेश दिनांक 29-04-2005 को अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया। उस आदेश से दुखी होने के कारण अपीलार्थी के द्वारा जिला न्यायाधीश चन्दरपुर के समक्ष विविध दीवानी अपील दाखिल की जिसका निर्णय आज भी लंबित है। अपीलार्थी विचारण न्यायालय में सदभाविक विश्वास और उसके विधिक सलाहकार के द्वारा दी गई सलाह की जिला न्यायालय में अपील लंबित होने तथा निर्णय होने के बाद लिखित कथन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करने के सलाह व निर्देश दिये गये थे फिर भी जब अपीलांट के विधिक सलाहकार के द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करने की देरी की माफी को स्वीकार करते हुए लिखित कथन दाखिल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नागभीड के द्वारा वह प्रार्थना पत्र यह कहते हुए अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 08 नियम 01 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत नहीं की गई है तथा देरी से प्रस्तुत की है। पुनर्लोकन याचिका भी दाखिल की गई जिसे 01 पंक्ति के आदेश में खारिज कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई जिसे भी खारिज

कर दिया गया। आदेश 08 नियम 01 सीपीसी के प्रावधानों को देखने से पहले विद्वान अधिवक्ता जो कि अपीलार्थी की तरफ से उपस्थित हुआ है] के द्वारा हमारे सामने यह दलील दी कि आदेश 08 नियम 01 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान निर्देशात्मक प्रकृति के है] इसलिए लिखित कथन प्रस्तुत किये जाने में देरी को तथा लिखित कथन को न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया जा सकता था। आदेश 08 नियम 01 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान निर्देशात्मक प्रकृति के है या आदेशात्मक प्रकृति के है] पर विचार करने से पूर्व हमें आदेश 08 नियम 01 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान देखने चाहिए] जो कि नीचे है -

> "कि प्रतिवादी सम्मन की तामिल की दिनांक से 30 दिन के भीतर अपना लिखित कथन अपने बचाव में दाखिल करेगा।
>
> परंतु जहां कि प्रतिवादी अपना लिखित कथन निर्धारित 30 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो न्यायालय उस निर्धारित अवधि के उपरांत भी उचित कारण दर्शाने पर कारण लिखते हुए लिखित कथन प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है] लेकिन यह अवधि सम्मन की तामिल होने की दिनांक से 90 दिन के पश्चात की नहीं होगी।"

6- जैसा कि पूर्व में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश 08 नियम 01 दीवानी प्रक्रिया संहिता के उक्त प्रावधान पर विश्वास

करते हुए अपीलांट को लिखित कथन जो कि उस पर सम्मन की तामिल होने के दिनांक से 90 दिवस के उपरांत प्रस्तुत किया] को अस्वीकार कर खारिज किया गया था।

7- वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा देरी से जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारणों को ध्यान में रखते हुए हम इस परिस्थितियों में नहीं है कि अपीलार्थी आदेश 08 नियम 01 दीवानी प्रक्रिया संहिता में प्रस्तावित विधिक अवधि के समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किये गये लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सकता। आदेश 08 नियम 01 दीवानी प्रक्रिया संहिता व परंतुक में दिये गये प्रावधानों को पढ़ने से हम आदेश नियम 01 के प्रावधानों को आदेशात्मक प्रकृति का होना नहीं पाते है। सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम भारत संघ एआईआर 2005 उच्चतम न्यायालय 3353 में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 08 नियम 01 दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान तथा परंतुक आज्ञात्मक प्रकृति के नहीं है] बल्कि निर्देशात्मक प्रकृति के है। इस मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि देरी को माफ किया जा सकता है और लिखित कथन सम्मन की तामिल होने के दिनांक से 90 दिन की अवधि समाप्त होने के उपरांत भी स्वीकार किया जा सकता है] जबकि बहुत विशेष परिस्थितियां रही हो। इस निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 08 नियम 01 दीवानी प्रक्रिया संहिता में "करेगा" शब्द अपने आप में यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि उक्त प्रावधान

आज्ञापक है या निर्णयात्मक नहीं है। “करेगा" शब्द का सामान्यत का उपयोग प्रावधानों का आज्ञापक के रूप में संकेत दिया जाता है] लेकिन इस प्रकरण के निर्णय के संबंध में यह शब्द निर्देशात्मक के रूप में अर्थ करना माना जावे।

इस निर्णय के पैराग्राफ नंबर 21 पर न्यायालय के द्वारा यह कहा है।

> “आदेश 08 नियम 01 में “करेगा" शब्द अपने आप में यह निर्णय करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उक्त शब्द आदेशात्मक है या निर्देशात्मक। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रावधान को अधिनियमित किन परिस्थितियों में और किन उद्देश्यों के लिए किये जाने की आवश्यकता हुई थी। "करेगा" शब्द का सामान्यत अर्थ आज्ञापक प्रकृति का है] लेकिन विधायिका का आशय जिन परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाना है] वे निर्देशात्मक होने की ओर इंगित करती है। यहां यह नियम न्याय को गति प्रदान करने के लिए है न कि न्याय को विफल करना। प्रक्रिया में जो नियम बनाये गये है] वो न्याय को भावी गति प्रदान करने के लिए बनाये है] न कि उसे हराने के लिए। प्रक्रिया और नियम न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है और न्याय की विफलता को रोकने के लिए किया गया है। प्रक्रिया और नियम न्याय की

प्राप्ति के लिए है] न कि न्याय का स्वामी बनाने के लिए। वर्तमान प्रसंग में इसका कठोर निर्वचन न्याय को विफल कर देगा।"

8- इसलिए जो सिद्धांत इस निर्णय में पारित किये गये है उनको ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय के लिए खुला होगा कि वे आपवादिक परिस्थितियां यदि है तो अपीलार्थी को लिखित कथन प्रस्तुत करने की अनुमति देवे। यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी पक्षकार को साधारणत न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में भाग लेने से इंकार इस विरोधात्मक प्रणाली में नहीं किया जा सकता। इसलिए आदेश 08 नियम 01 दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रावधान व अधिनियम की विशेष भाषा का अर्थ इस तरीके से नहीं लगाया जा सकता कि वह न्यायालय को न्यायप्राप्ति के लिए विशेष परिस्थितियों में असहाय कर दे। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जो कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन में ध्यान में रखा और हमारे उपर के विचार को ध्यान में रखते हुए तथा लिखित कथन दाखिल करने के लिए देरी का प्रार्थना पत्र में दिये गये कारणों को ध्यान में रखा। प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय में दिये गये वकील के निर्देश जिसके कारण वह लिखित कथन दाखिल करने की समयावधि में लिखित कथन दाखिल नहीं कर सका। अपीलांट के सदभाविक विश्वास की जिला न्यायालय में लंबित अपील में उपस्थित अधिवक्ता से रिकॉर्ड प्राप्त करने के उपरांत जवाब दावा प्रस्तुत करेगा। यह

भी तथ्य सामने आया है कि विविध अपील जो कि व्यादेश के आदेश के विरूद्ध जिला न्यायालय चन्दरपुर में प्रस्तुत कर दी गई थी - जबकि वाद व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड नागभीड के न्यायालय में लंबित था। चूंकि अपील का रिकॉर्ड चन्दरपुर में अधिवक्ता के पास रखा हुआ था, इसलिए अपीलांट के नागभीड में अधिवक्ता के पास पत्रावली नहीं होने से वह निर्धारित समयावधि में अपना लिखित कथन प्रस्तुत नहीं कर सका। इस परिस्थिति को देखते हुए हमारे विचार में उपरोक्त तथ्य लिखित कथन दाखिल करने के लिए हुई देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त है और यह भी ध्यान में लिया गया है कि नागभीड में अपीलांट को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था] जिसके कारण वह समयावधि में आपवादिक परिस्थितियों निर्मित होने के कारण लिखित कथन दाखिल करने में देरी हुई। इस मामले में इस विचार के कारण वाद में लिखित कथन दाखिल करने में देरी हुई। हम यह भी निर्धारित करते है कि उच्च न्यायालय के साथऔरसाथ विचारण न्यायालय ने लिखित कथन दाखिल करने के प्रार्थना पत्र को देरी से प्रस्तुत करने के कारण खारिज करने में भूल की है। तदनुसार देरी माफ करने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है और लिखित कथन जो कि अपीलांट ने दाखिल किया है, को स्वीकार किया जाता है] जिसके परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय के द्वारा देरी से लिखित कथन प्रस्तुत करने के प्रार्थना पत्र जिसे विचारण न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया] जिसकी पुष्टि की गई थी] को निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालय इस आदेश की

प्रति प्राप्त होने के दिनांक से 01 वर्ष के भीतर वाद की सुनवाई करे और वाद को निस्तारित करे।

9- उपरोक्त उपर दिये गये कारणों से यह अपील स्वीकार की जाती है। कोई खर्चा अधिरोपित नहीं किया जाता है।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राकेश गोयल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।